

राजस्थान सरकार

राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर

क्रमांक: प.3(14)/संस्था/स्टे.मो.गै./वा.चा./भर्ती/2013-2014/5357 जयपुर दिनांक 19-07-2013

समस्त विभागाध्यक्ष,

विषय:- वाहन चालन का अनुभव प्रमाण-पत्र जारी होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्टेट मोटर गैराज विभाग एवम् समस्त जिला कलक्टर पूलो में वाहन चालक के पदो पर सीधीभर्ती प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में राजकीय/अर्द्धराजकीय विभाग/उपक्रम व राज्य सरकार के निगम/बोर्ड आयोग द्वारा उनके विभाग के अधीन वाहन चालन का किये गये कार्य के लिये वाहन चालको द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र की मांग की जाती है, तो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार होगा।

उक्त भर्तियों के अन्तर्गत प्रारूप अनुसार वाहन चालन की अवधि अंकित किये हुये व विभागाध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

संलग्न:- अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप।

(राजीव जैन)  
संयुक्त शासक सचिव

## अनुभव प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है, कि श्री/सुश्री/श्रीमति.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....के द्वारा मेरे अधीन  
राजकीय/अर्द्धराजकीय विभाग/उपक्रम व राज्य सरकार के निगम/बोर्ड आयोग  
(विभाग का नाम)..... मे निम्नलिखित अवधि में  
संविदा के अधार पर वाहन चालन का कार्य किया है।

- (i) दिनांक .....से दिनांक.....तक  
(ii) दिनांक .....से दिनांक.....तक  
(iii) दिनांक .....से दिनांक.....तक  
(iv) दिनांक .....से दिनांक.....तक  
(v) दिनांक .....से दिनांक.....तक

यह प्रमाण पत्र उक्त श्री/सुश्री/श्रीमति .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....को उनके वाहन चालन के लिये  
भुगतान किये गये बिलो के आधार पर जारी किया जाता है।

दिनांक.....

विभागाध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी मय सील